लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2023 (GCMS 2023/68)	24.02.2023	14.03.2023

अनवान

रमेशचन्द्र पिता गणेश लाल खटीक निवासी गोलप्याऊ चौराहा के पास, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.01.2023 को प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./019/2023(सू.अ.)(14.03.2023)/190 दिनांक 24.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.03.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 14.03.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र से सूचित करने के बावजूद अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने को उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/30 दिनांक 13.03.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

1. यह कि प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र पिता गणेश लाल खटीक निवासी गोल प्याऊ चौराहा के पास, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/12 दिनांक 16.01.2023 से सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया हैं, परन्तु जिस पर वांछित सूचना आदिनांक अप्राप्त हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ द्वारा तैयार की जा रही हैं, जो प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/30 दिनांक 13.03.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/12 दिनांक 16.01.2023 से प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त हो जाने पर अपीलार्थी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उक्त जवाब/कमेण्ट्स से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई हैं, उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संबंधित अनुभाग (प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़) से 10 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निर्धारित समायावधि व्यतीत हो जाने के कारण निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.03.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official